कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : का. 15(59)सविरा/नियम/80 पार्ट–3 दिनांक : 22/4/2014

उप/सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितियाँ,
.....खण्ड

विषय : वृहद कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के आदर्श उपनियमों में संशोधन हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत 97वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया जाकर दिनांक 24 अप्रेल,2013 को अधिसूचित किया जा चुका है। अधिनियम में किये गये संशोधनों के आलोक में राज्य की वृहद कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के आदर्श उपनियमों में यथास्थान संशोधन अंतरित किये जाकर आदर्श उपनियम की एक प्रति संलग्न कर लेख है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सभी संबंधित वृहद कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के उपनियमों को उक्तानुसार संशोधित कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अनुराग भारद्वाज)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त पंजीयक (बैंकिंग), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि0, जयपुर।
6. अतिरिक्त/संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियाँ, (समस्त)
7. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड पत्रावली।

उप रजिस्ट्रार (नियम)

	शेष अवधि के लिये पुनः सदस्य बन जायेगा कि जिसके लिए वह मूलतः नियुक्त किया गया था यदि कारावास का आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाय और उसके रिक्त स्थान पर अंतरिम काल में निर्वाचित व्यक्ति को पृथक होना होगा। 8. अन्य अयोग्यतायें जो धारा 28 एवं नियम 34 में वर्णित से ग्रसित हो गया हो, वह पृथक समझा जावेगा।	8. वह उपनियमों में वर्णित कर्तव्यों की पालना करने में असमर्थ रहे। 9. पृथक्करण का आदेश अधिनियम 2001 एवं नियम 2003 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जारी किया जाएगा।
26.(3)	संचालक मण्डल के सदस्यों का कार्यकाल :– संचालक मण्डल में प्रत्येक ग्राम समूह में से चुने गये सदस्य के अन्तरिम रिक्त स्थान की पूर्ति संचालक मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा संबंधित क्षेत्र के सदस्यों में से सहयोजन द्वारा की जायेगी इस प्रकार सहयोजित सदस्य आगामी वार्षिक अधिवेशन के समय अवकाश ग्रहण करेगा और वार्षिक अधिवेशन से संबंधित क्षेत्र के कि जिसका स्थान मूलतः रिक्त हुआ था, सदस्यों में से अवशेष अवधि हेतु सदस्य को निर्वाचित किया जायेगा। मनोनीत सदस्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति राजस्थान सरकार अथवा रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अथवा राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा की जायेगी।	संचालक मण्डल के सदस्यों का कार्यकाल :– संचालक मण्डल में प्रत्येक चुने गये सदस्य के आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति अधिनियम की धारा 27 (4) के प्रावधानानुसार नामनिर्देशक से की जावेगी, यदि संचालक मण्डल की अवधि इसकी मूल पदावधि के आधे से कम हो। किन्तु यदि मूल पदावधि आधे से अधिक है तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन, नामनिर्देशक या यथास्थिति, सहयोजन द्वारा भरी जावेगी और ये सदस्य शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा। मनोनित सदस्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति राजस्थान सरकार अथवा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा की जाएगी।
27.(16)	कोई प्रावधान नहीं।	संचालक मण्डल के अधिकार:– जब तक नियुक्ति की शर्तों में अन्यथा प्रावधान न हो, बैंक का कोई कर्मचारी, जिसे संचालक मण्डल नियुक्त ने नियुक्त किया हो,निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवाओं से पृथक किया जाना।
27. (द)13	कोई प्रावधान नहीं।	बैंक के खारिज योग्य सामान को नियमानुसार खारिज करने की स्वीकृति देना।
(द)14	कोई प्रावधान नहीं।	बैंक की तिजोरी में रहने वाली रोकड़ की राशि की सीमा समय–समय पर निर्धारित करना।
28.(ब)	संचालक मण्डल की बैठक :– संचालक मण्डल की गणपूर्ति 6 सदस्यों की होगी, किन्तु यदि संचालक मण्डल की बैठक पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु आहूत की गई है तो प्रबन्ध समिति की ऐसी बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति होना आवश्यक नहीं होगा।	संचालक मण्डल की बैठक :– संचालक मण्डल की गणपूर्ति आधे से एक अधिक सदस्यों की होगी, किन्तु यदि संचालक मण्डल की बैठक पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु आहूत की गई है तो ऐसी बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति होना आवश्यक नहीं होगा।

30.(3)	सचिव के कर्तव्य– बैंक की ओर से या बैंक पर मुकदमा सचिव के नाम से दायर होगा और बैंक के पक्ष में समस्त लेखा पत्र (दस्तावेजात) सचिव के नाम पर होंगे।	सचिव के कर्तव्य:– बैंक की ओर से या बैंक पर सिविल मुकदमे सामान्यतः सचिव के नाम से दायर होंगे और बैंक के पक्ष में समस्त लेखा पत्र (दस्तावेजात) सचिव के नाम पर होंगे परन्तु ऋण वसूली की प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रकरणों में, बैंक के साथ किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी होने के प्रकरणों में एवं निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट के तहत मुकदमें सीधे बैंक के सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा भी दायर करवाये जा सकेंगे। बैंक के सचिव द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में बैंक के किसी अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा एवं बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को कोई मुकदमा दायर करने, किसी मुकदमें में पैरवी करने, दस्तावेज या साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करने किसी भी न्यायालय में परीक्षा, प्रति–परीक्षा या पुनः परीक्षा में उपस्थित होने या अन्य विधिक कार्यवाहियों इत्यादि के लिये अधिकृत किया जा सकेगा अथवा इन कार्यों के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा।
30.(8)	कोई प्रावधान नहीं।	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह की कालावधि (30 सितम्बर तक) में बैंक का अंकेक्षण कार्य पूर्ण कराना।
30.(7)	कोई प्रावधान नहीं।	धारा 34(1) के प्रावधान अनुसार समिति और पदाधिकारियों के निर्वाचन के संचालन हेतु समिति की अवधि समाप्ति के 6 माह पूर्व निर्वाचन प्राधिकारी को लिखित सूचना भेजेगा व आकस्मिक रिक्तियों की सूचना भेजेगा।
39(1)	ऋणों का हिस्सों से अनुपात :– 1. कोई सदस्य स्वयं द्वारा क्रय किए गए हिस्सों के 20 गुना से अधिक ऋण प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा परन्तु यह सीमा राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा समय–समय पर परिवर्तित की जा सकेगी।	ऋणों का हिस्सों से अनुपात :– 1. ऋण लेने हेतु इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ऋण हेतु आवश्यक हिस्से क्रय करने होंगे। 2. यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक भूमि बन्धक विकास बैंकों का सदस्य है, तो उसकी इन सभी बैंकों से उधार ली हुई राशि उसकी अधिकतम क्षमता या साख सीमा से, जो कि इन बैंक द्वारा निश्चित की गई हैं, अधिक नहीं होगी।
45.	कोई प्रावधान नहीं ।	संघ प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर रजिस्ट्रार को निम्न लिखित विवरणीयां फाईल करेगी– 1. अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट, 2. अपने लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरण, 3. अधिशेष के व्ययन के लिए योजना जो सोसाइटी के साधारण निकाय के द्वारा अनुमोदित हो, 4. सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हो की सूची, 5. साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के बारे में घोषणा और, 6. ऐसी अन्य सूचना जिसकी रजिस्ट्रार समय समय पर अपेक्षा करे।